पत्रांक–.....910.........

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

आर०जे०एम०पिल्लै,
मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी विभागीय **प्रधान सचिव/सचिव,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05 जून, 2009

विषय :– मुख्य मंत्री सचिवालय को बिना किसी प्रयोजन के कागजात भेजने की परम्परा को समाप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं, जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों अथवा निगमों/निकायों आदि से सीधे पत्राचार/प्रतिवेदन आदि मुख्य मंत्री सचिवालय को भेज दिये जाते हैं। ऐसे अनावश्यक पत्राचारों से जहां एक ओर समय एवं साधन की बर्बादी होती है, दूसरी ओर मुख्य मंत्री सचिवालय में भी अनावश्यक कार्यबोझ बढ़ जाता है। इस संदर्भ में आप का ध्यान कार्यपालिका नियमावली के कतिपय नियमों की ओर आकृष्ट करना आवश्यक है, जिनके अधीन विभाग में अथवा मुख्य मंत्री के समक्ष मामले उपस्थापित किए जाने हैं।

2. कार्यपालिका नियमावली के भाग–3– 'कार्य का विभाग द्वारा निपटाव' के विभिन्न नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कौन–कौन से कार्य विभागीय स्तर पर निपटाये जायेंगे, जिनमें नियम–11, 21 एवं 23 मुख्य हैं।

3. नियम 27(1) एवं नियम 30 के अंतर्गत ही कोई कागजात अथवा संचिका सीधे मुख्यमंत्री को भेजने का प्रावधान है। नियम 32(क) ऐसे मामलों की सूची है, जिनमें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष मामले उपस्थापित किये जाने हैं। नियम 25 एवं 26 के अंतर्गत आने वाले मामले भी मुख्य सचिव के माध्यम से ही मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थापित किये जाने हैं।

4. उपर्युक्त से स्पष्ट होगा कि कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन दृढ़ता से नही किये जाने के कारण ही नियम 27(1) एवं नियम 30 से भिन्न मामले भी विभागों या उनके अधीनस्थ निगमों/निकायों द्वारा सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे जा रहे हैं।

5. अतः उपर्युक्त के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि कार्यपालिका नियमावली के नियमों/प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय ताकि भविष्य में मुख्यमंत्री

D:\sanjeev\Notice\Rules Corrigendum.doc16

सचिवालय को अवांछित पत्र/प्रतिवेदन न भेजें जायें। यदि अन्य किसी विशेष प्रयोजन से भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता हो, या उन्हें कोई सूचना देनी हो, तो उसे मुख्य सचिव के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए। यह भी अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ निगमों/निकायों को भी उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।

विश्वासभाजन,

(आर०जे०एम०पिल्लै)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक–910 पटना, दिनांक 05/ जून, 2009

प्रतिलिपि विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०जे०एम०पिल्लै)
मुख्य सचिव